

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
भरतराज बनाम श्रीमती सुमित्रा
अपील जीसीएमएस नं. 2025 / 1009

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

01.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रकरण को नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि अधिवक्ता अपीलांट श्री श्यामबाबू पारीक ने आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित किया है। अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं ऐसी स्थित में हस्तगत प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पत्रावली को नोट प्रेस किये जाने पर पत्रावली को नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जयपुर